



Neutral Citation No. - 2026:AHC:47368

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 3188/2026

अनूप कुमार श्रीवास्तव

----- याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

----- प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : दिव्यांशु पांडे, उत्कर्ष मालवीय

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : मुख्य स्थाई अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री उत्कर्ष मालवीय और राज्य के विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री पी.के. श्रीवास्तव को सुना गया।
2. इस याचिका में केवल यही प्रार्थना की गई है कि द्वितीय प्रतिवादी, जिला मजिस्ट्रेट, चंदौली को उस अपील पर निर्णय लेने का निर्देश दिया जाए, जो याचिकाकर्ता ने दिनांक 26.12.2024 के दंड आदेश के विरुद्ध दिनांक 24.01.2025 को दायर की थी।
3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।
4. कटघरे में दिए गए निवेदनों पर विचार करते हुए, याचिका को निस्तारित करते हुए प्रतिवादी संख्या 2 को आज से दो महीने की अवधि के भीतर लंबित अपील पर निर्णय लेने का निर्देश दिया जाता है।

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

9 मार्च, 2026

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।